प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.10.2024

POLICE CRACKDOWN
थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा लूट व स्नैचिंग की घटनाओं को कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, लूट व स्नैचिंग की गई चैन / मंगलसूत्र की बिक्री से प्राप्त 10,000/- रूपये व घटनाओं में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 02.10.2024 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा लूट व स्नैचिंग की घटनाओं की रोकथाम हेतु चेकिंग के दौरान हिंडन बैराज के पास दो मोटर साइकिल सवार युवकों को रुकने का इशारा किया गया परन्तु दोनों युवक नही रुके तथा मोटर साइकिल को तेजी से पीछे मोड़ते हुए भागने का प्रयास किया तो मोटर साइकिल फिसलकर गिर गयी। जिससे वह मोटर साइकिल को छोड़कर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुए भागने का प्रयास किया। जिससे पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये बहादुरी का परिचय देते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी व न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुये फायर किया गया। जिससे अभियुक्त अक्षय कुमार पुत्र श्यामकिशोर गुप्ता निवासी ग्राम विश्वनाथ पुर थाना आंटी जिला गया बिहार हाल पता गली न0 12 धर्मेन्द्र जाटव का मकान नियर विद्या भारती निकेतन स्कूल झंडापुर थाना लिंकरोड़ के पैर मे पैर में गोली लगी। जिससे अभियुक्त घायल होकर नीचे गिर गया तथा उसका दूसरा साथी मौका का फायदा उठाकर फरार हो गया, तत्पश्चात बिना देरी किये पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त अक्षय कुमार उपरोक्त को दिनांक 02.10.2024 को 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, लूट व स्नैचिंग की गई चैन/मंगलसूत्र की बिक्री से प्राप्त 10,000/- रूपये व घटनाओ में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त अक्षय कुमार पुत्र श्यामकिशोर गुप्ता उपरोक्त के द्वारा थाना इन्दिरापुरम की कई चैन/मोबाइल फोन स्नैचिंग सम्बन्धित घटनाओं को कारित करने का इकबाल किया है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त अक्षय कुमार पुत्र श्यामकिशोर गुप्ता उपरोक्त के द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों चोरी की मोटर साइकिल से गाजियाबाद नोयडा दिल्ली से राह चलते महिला /व्यक्तियों से उनके चैन /मोबाइल फोन झपटमारी की घटना कारित करते है तथा चोरी/झपटमारी से पाये सामान को सस्ते दामों में बेचकर प्राप्त पैसों को बांट लिया करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

अक्षय कुमार पुत्र श्यामकिशोर गुप्ता निवासी ग्राम विश्वनाथ पुर थाना आंटी जिला गया बिहार हाल पता गली न0 12 धर्मेन्द्र जाटव का मकान नियर विद्या भारती निकेतन स्कूल झंडापुर थाना लिंक रोड उम्र 22 वर्ष।

फरार/वाँछित अभियुक्त का नाम व पता

शहनवाज उर्फ फैद पुत्र मंसूर अहमद निवासी जगदीश रावत का मकान जिम वाली गली झंडापुर थाना लिंकरोड़ गाजियाबाद मूल निवासी मोहल्ला लखनापुर करनैलगंज थाना करनैलगंज जिला गौंडा।

बरामदगी का विवरण

- 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस, लूट व स्नैचिंग की गई चैन / मंगलसूत्र की बिक्री से प्राप्त 10,000/- रूपये व घटनाओ में प्रयुक्त चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- गिरफ्तार अभियुक्त अक्षय कुमार पुत्र श्यामकिशोर गुप्ता उपरोक्त विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम पर स्नैचिंग सम्बन्धित 06 अभियोग, थाना लिंकरोड़ चोरी सम्बन्धित 01 अभियोग, थाना जीआऱपी पर चोरी सम्बन्धित 03 अभियोग, दिल्ली में स्नैचिंग सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 11 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा विभिन्न स्त्रोतो से मिल रही अवैध मादक पदार्थ की ब्रिकी की सूचना पर थाना क्षेत्र विजयनगर में की गयी छापेमारी व 62 पुड़िया अवैध गांजे व 20 OCB रैपर व कुल बिक्री के 2800/- रूपये बरामद।

थाना विजयनगर क्षेत्र में विभिन्नो स्त्रोतो से जानकारी मिली कि चांदमारी, झुग्गी झौपड़ी, आर्मीग्राउण्ड, सम्राट चौक, बिच्छल गेट पर अवैध गांजे एवं मादक पदार्थ की बिक्री की जा रही है। सूचना पर आज दिनांक 02.10.2024 को सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली नगर के नेतृत्व में थाना विजयनगर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र सादे वस्त्रो में पुलिस कर्मचारी को भेज कर जानकारी कर औचक निरीक्षण कर छापेमारी की गयी तो छापेमारी एवं चैकिंग के दौरान 62 अवैध गांजे की पुडियां व 20 OCB रैपर व मादक पदार्थ व कुल बिक्री के 2800/- रूपये के साथ पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. मौ0 सलमान पुत्र मौ0 शमी निवासी गौशाला फाटक चांद मस्जिद के पास थाना विजय नगर गाजियावाद उम्र 27 वर्ष।
2. नितेश पुत्र जगदीश निवासी तिगरी गोल चक्कर बागू थाना क्रासिंग रिपब्लिक गाजियावाद उम्र 19 वर्ष।
3. सुनील कुमार पुत्र खेमचन्द निवासी डी- ब्लाक सैक्टर – 9 थाना विजयनगर गाजियावाद उम्र 39 वर्ष
4. विजय कुमार पुत्र जगदीश चन्द निवासी शिव मन्दिर के पास हापुड़ रोड़ गाजियाबाद उम्र 27 वर्ष।
5. शिशपाल पुत्र निहाल सिंह निवासी पुराना विजयनगर रामलीला मैदान के पास सैक्टर – 9 थाना विजयनगर गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष।

अभियुक्तगण से बरामद मालः-

1. 62 अवैध गांजे की पुडियां
2. 20, OCB रैपर
3. 2800/- रूपये अवैध गांजे की बिक्री के

कार्यवाही करने वाली टीमः-

सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली नगर

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद।

थाना सिहानी गेट पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड के दौरान मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 02 अभियुक्त पैर मे गोली लगने से घायल/गिरफ्तार। कब्जे से 02 मोबाइल, अवैध असलाह कारतूस व एक मोटर साइकिल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 02.10.2024 को रात में समय करीब 23.30 बजे कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस मेरठ रोड पर मोबाइल छिनैती की सूचना पर सघन चेकिंग कर रहे थें। दो संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आते दिखाई दिए जिनको पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी से रुकने के लिए इशारा किया तो हडबडाहट में मोटरसाइकिल वापस मोडने लगे और मोटरसाइकिल गिर गयी। दोनो संदिग्ध मोटरसाइकिल को वही छोड कर हम दर्द ग्राउड की तरफ भागे और जान से मारने की नियत से फाइरिंग शुरू कर दी आत्मरक्षार्थ पुलिस की जवाबी फाईरिग पर मौके पर दोनो बदमाश घायल होकर गिर गये। घायल बदमाशो का नाम आशू उर्फ सूजी पुत्र मुकेश निवासी किरायेदार कोर्ट गांव थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद व लक्ष्य उर्फ सानू पुत्र राजेश निवासी किरायेदार जी.डीए स्टाफ कांलोनी थाना सिहानीगेट गाजियाबाद है। इसके कब्जे से दो देशी तमंचा 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुये। व दो मोबाइल बरामद हुए। बरामदा मोटरसाइकिल विजयनगर थाना क्षेत्र से चोरी होना पायी गयी है। घायल बदमाश पर पहले से ही मोबाइल छिनैती के मुकदमे थाना सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद में पंजीकृत है। शातिर किस्म के बदमाश है। घायल बदमाशो को उपचार हेतु सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

1.आशू उर्फ सुजी पुत्र मुकेश निवासी किरायेदार कोर्ट गांव थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

2. लक्ष्य उर्फ सानू पुत्र राजेश निवासी किरायेदार जी.डीए स्टाफ कांलोनी थाना सिहानीगेट गाजियाबाद।

बरामदगी का विवरण –

1-दो देशी तमंचा 02 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर

2.दो मोबाइल

3.एक हीरो पैसन मोटरसाइकिल

अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-

1.अभियुक्तगण आशू उर्फ सूजी व लक्ष्य उर्फ सानू पर थाना सिहानीगेट कमिश्नरेट गाजियाबाद पर मोबाइल छिनैती के दो अभियोग पंजीकृत है । तथा पुलिस मुठभेड का एक अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है । तथा थाना कविनगर पर एक चोरी का अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम ।

POLICE CRACKDOWN
पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद
दिनांक 03.10. 2024

थाना भोजपुर पुलिस की अपराधियों से हुई मुठभेड के दौरान थाना भोजपुर से गोकशी में वांछित 2 अभियुक्त घायल/गिरफ्तार

दिनांक 03/10/2024 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर फरीदनगर के कीकर के जंगल में कांबिंग की जा रही थी। इस दौरान जंगल में गोकशी करने की फिराक में मौजूद 02 अपराधियों की घेराबंदी की गई। अपने आप को घिरता पाकर इन अपराधियों द्वारा पुलिस टीम पर लक्ष्य कर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में दो बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए । पूछताछ में पकड़े गए बदमाशो ने अपना नाम रियाजुद्दीन उर्फ बादल पुत्र नसीमुद्दीन उम्र 31 वर्ष व शाहनवाज पुत्र जाहिद उम्र 28 वर्ष निवासीगण ग्राम नहाली थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद बताया है तथा विगत दिनों घटित गोकशी की घटना जिसके संबंध में थाना भोजपुर पर अभियोग पंजीकृत है उसे अपने अन्य साथियों के साथ अंजाम देना स्वीकार किया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

***बरामदगी का विवरण**

1- 02 तमंचा 315 बोर मय 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस
2- गोकशी करने के औजार

अभियुक्त गण को गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना भोजपुर पुलिस

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 01.10.2024 को वादिया द्वारा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर एक लिखित सूचना दी जिसमें आरोपित किया गया था कि प्रतिवादी इजिन्दर बेदी पुत्र हिम्मत सिंह बेदी द्वारा वादिया से दोस्ती कर, शादी का झांसा देकर वादिया के साथ दुष्कर्म करना तथा वादिया व वादिया के परिवार वालों से 05 लाख रुपये व जेवरात

लेकर वापस न करना, वापस मांगने पर वादिया की आपत्तिजनक फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देना तथा वादिया को ब्लैकमेल करना व वादिया की अश्लील फोटो व चैट वादिया के भाई के मोबाइल पर व्हाट्सअप के माध्यम से भेजकर वादिया की छवि धूमिल करना। वादिया द्वारा दी गयी लिखित सूचना के आधार पर तत्काल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा उक्त सम्बन्ध में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 02.10.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इजिन्दर बेदी पुत्र हिम्मत सिंह बेदी निवासी रमेश स्टोर, सदर रोड, फोरबेसगंज अररिया बिहार हाल ई-11036, 16 अवेन्यू गौर सिटी नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर उम्र करीब 35 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर सफायर स्कूल थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि मेरा मेरी पत्नी से वर्ष-2021 में तलाक हो गया था तथा मेरा एक छोटा बच्चा है जो सफायर स्कूल में पढता है तथा वादिया का बच्चा भी उसी की क्लास में पढता है। वादिया जब अपने बच्चे को स्कूल छोडने आती जाती थी तो हम दोनों की मुलाकात हो गयी, धीरे-धीरे हम दोनों के बीच दोस्ती हो गयी तथा मैनें वादिया के घर आना जाना शुरु कर दिया तथा वादिया को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया तथा पीडिता के साथ दुष्कर्म किया तथा उसकी आपत्तिजनक फोटो भी खीची एवं वादिया के परिवार वालों से अपनी मजबूरी बताकर 05 लाख रुपये व जेवरात भी ले लिये।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

इजिन्दर बेदी पुत्र हिम्मत सिंह बेदी निवासी रमेश स्टोर, सदर रोड, फोरबेसगंज अररिया बिहार हाल ई-11036, 16 अवेन्यू गौर सिटी नोएडा जनपद गौतमबुद्ध नगर, उम्र करीब 35 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना के संबंध मे 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा फ्लैट किराये पर लेकर फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर फ्लैट पर बैंक से लोन लेकर करीब 2.5 करोड़ रुपये की हेरा फेरी कर भाग जाने वाले गिरोह की शातिर अभियुक्ता को किया गिरफ्तार।

दिनांक 09-09-22 को वादिया श्रीमती सरिका तुल्स्यान पत्नी श्री तरूण तुल्स्यान के0 104 फर्स्ट फ्लोर चतुर्थ टाँवर वी0वी0आई0पी0 एड्रेसस राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद हाल निवासी- प्लाट न0 4 तृतीय तल, रामाकृष्ण विहार नीयर आई0एम0ई0 कॉलेज साहिबाबाद गाजियाबाद ने सूचना दी की कुछ लोगो द्वारा मेरा फ्लैट किराये पर लेकर धोखाधडी कर मेरे फ्लैट के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रयोग कर मेरे फ्लैट को अपने नाम कराकर उक्त फ्लैट पर बैंक की मिलीभगत से लोन करा लिया है। तथा एक अन्य वादी श्री राजबहादूर द्वारा सूचना दी

गयी कि मेरे फ्लैट नं0 जे-1107, टाईप-डी, 11वाँ फ्लोर टाँवर-7 वीवीआईपी एड्रेसस राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गा0बाद को अभि0गण द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर कुल 34,55,625 रुपये मे बेच दिया तथा उक्त फ्लैट पर अभियुक्तगण द्वारा षडयन्त्र कर कूटरचित दस्तावेज रचकर मेरी पत्नी श्रीमती रजनी ठाकुर के नाम से किसी अन्य व्यक्तियों को दिखाकर उसकी फोटो लगाकर फर्जी तरीके से अपने नाम रजिस्ट्री करा ली है, उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमो का गठन कर सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से मुकदमा उपरोक्त में उक्त गैंग के 09 अभियुक्तगण को पूर्व में गिरफ्तार किया गया है जिसमें मुख्य अभियुक्त पुष्पेन्द्र जैन, बुद्धप्रकाश, अंकित फोगाट, विनोद कुमार, अतुल कुमार, विजय कुमार , मुकेश गुप्ता, संदीप कुमार, सोनी शाक्य आदि को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष भेजा जा चुका है, दिनांक 03-10-24 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता को मेरठ रोड पर एएलटी ओवर ब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया, अभियुक्ता के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0 का नाम व पता--

यशोदा उर्फ यशोधरा उर्फ सारिका उर्फ रजनी ठाकुर पुत्री पंचमलाल पत्नी रमेशचन्द्र शर्मा निवासी म0नं0 – 420/1014 नई गोविन्दपुरी कंकरखेडा थाना कंकरखेडा जिला मेरठ उम्र करीब 40 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्ता यशोदा उर्फ यशोधरा उर्फ सारिका उर्फ रजनी ठाकुर उपरोक्त नाम पते की रहने वाली हूँ तथा अपनी माँ भागवती के साथ रहती हूँ। मेरे पति से मदभेद होने पर जब कचहरी मेरठ में आने जाने लगी तो मेरी मुलाकात पुष्पेन्द्र जैन निवासी सदर बाजार से हो गयी थी। पुष्पेन्द्र जैन ने मुझे मेरठ कचहरी में फोटो स्टेट की दुकान करने वाले बुद्धप्रकाश से भी मिलवाया था फिर संदीप से मिलवाया था। हम चारों ने मिलकर फर्जी आईडी तैयाकर कर गा0बाद में राजनगर एक्सटेंशन में फ्लैट के फर्जी कागज तैयार कर बेचने की योजना बनायी थी। पुष्पेन्द्र जैन व बुद्ध प्रकाश ने मुझे बताया था कि जो पैसा मिलेगा उसको आपस में बांट लेगे तथा मुझे एक फ्लैट बेचने पर मुझे मोटा मुनाफा देने को कहा था। फिर पुष्पेन्द्र जैन व बुद्धप्रकाश ने मेरा एक आधार कार्ड सारिका तुल्सयान व एक आधार कार्ड रजनी ठाकुर के नाम का बनाया था तथा फ्लैटों के फर्जी कागज भी बनाये थे। उन लोगों ने मेरा पैन कार्ड भी फर्जी बनाया था। उसके बाद बुद्धप्रकाश ने अपना आधार कार्ड तरूण तुल्सयान व संदीप ने अपने कागज राजबहादुर के नाम के बनवाये थे। फिर हम लोग प्रथमा यू0पी0 ग्रामीण बैंक संजय नगर सीएनजी पम्प के पास गाजियाबाद में गये थे तथा वहाँ पर फर्जी आधार कार्ड व पैन कार्ड व वोटर कार्ड के जरिये खाता संख्या 91280100139794, आईएफएससी PUNBOSUPGB5 खुलवाया था। मैंने तथा बुद्धप्रकाश ने सारिका तुल्सयान व तरूण तुल्सयान बनकर फर्जी आईडी प्रूफ के जरिये फर्जी बैनामा दिनांक 08.02.2021 को संजीव अग्रवाल व दिनांक 24.03.2021 को फर्जी बैनामा गुरपाल सिंह को वीवीआईपी सोसायटी राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद के फ्लैट नं0 के- 104 का बैनामा कराया था। जिस पर 80 लाख रूपये का लोन हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड से कराया था। तथा दूसरे फर्जी बैनामे द्वारा लगभग 60 -70 लाख रूपये का लोन आईसीआईसीआई होम फाइनेन्स कम्पनी से करवाया था। उक्त दोनों बैनामों में हस्ताक्षर करने के लिये मैं

तहसील/रजिस्ट्रार ऑफिस गाजियाबाद नहीं गयी थी। मैंने प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक के पास पुष्पेन्द्र जैन द्वारा लायी गयी गाडी में बैठकर हस्ताक्षर किये थे। फिर दोबारा उसी बैंक प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक में रजनी ठाकुर के आधार कार्ड व पैन कार्ड के कागजातों से संदीप के साथ खाता नंम्बर 91280100142809, आईएफएससी PUNBOSUPGB खुलवाकर तहसील गाजियाबाद में वीवीआईपी सोसायटी के फ्लैट नं0 जे0- 1107, डी ब्लाक का बैनामा कराया था। मेरे व संदीप के खाते में दिनांक 11.11.2021 को 41 लाख रूपये का लोन हिन्दुजा हाउसिंग फाइनेन्स कम्पनी लिमिटेड से स्वीकृत हुआ था। जिसमें बैनामा के समय मेरे व संदीप के खाते जो हमने रजनी ठाकुर व राजबहादुर के नाम से खुलवाया था 19 लाख 30 हजार रूपये व 19 लाख 30 हजार रूपये अलग अलग आये थे। दोनों के खाते में कुल 38 लाख 60 हजार रूपये आये थे। इसमें संदीप के आधार कार्ड व पैन कार्ड राजबहादुर के नाम के थे। आधार कार्ड व पैन कार्ड पुष्पेन्द्र जैन व बुद्ध प्रकाश बनाते थे तथा ये ही लोग फ्लैट के फर्जी कागज तैयार करते थे। बैनामा कराने के बाद पुष्पेन्द्र जैन व बुद्ध प्रकाश फर्जी बनाये गये आधार कार्ड व पैन कार्ड वापस ले लेते थे। लेकिन मैंने सारिका तुल्सयान के नाम का आधार कार्ड अपने मोबाईल में ले लिया था। जिसकी फोटो कापी मेरे पास है। मैंने व संदीप ने दिनांक 03/12/2021 को वीवीआईपी सोसायटी के फ्लैट नं0 जे0- 1107, डी ब्लाक की रजिस्ट्री तहसील गाजियाबाद में अतुल कुमार व सोनी शाक्य नाम के दो लोगों को करायी थी।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीम</u>--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 ई-रिक्शा बैटरी व घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

दिनांक 02.10.2024 को वादी श्री कपिल पुत्र रामपाल सिंह निवासी पाल गली कौशिक होटल ग्राम साहिबाबाद थाना लिंकरोड गाजियाबाद की तहरीर के आधार पर अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर के सामने से रात्रि में वादी के ई-रिक्शा की 02 बैटरी चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया था। घटना को गम्भीरता से लेते हुए दिनांक 02.10.2024 को ही थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त 1. मौहम्मद आरिफ पुत्र असलम निवासी काले सिंह मन्दिर मार्ग वार्ड नं0 18 मौहल्ला नई बस्ती कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र 38 वर्ष 2. असिफ उर्फ गुडडू पुत्र साविर निवासी गौशाला फाटक जस्सीपुरा मलिक बिल्डिंग थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को वसुन्धरा रेड लाइट के पास बन्द पडे बैंकट हाल के सामने से चोरी की 02 ई-रिक्शा बैटरी व घटना में प्रयुक्त कार सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि ये दोनों बैटरी हमने दिनांक 02.10.2024 को साहिबाबाद ग्राम से एक घर के सामने से रिक्शा से चोरी की थी। चोरी के माल को हम इधर-उधर छुपा देते हैं और मौका देखकर हम आने-जाने वाले राहगीरों को कम रुपयों में बेच देते है। आज हम बेचने की फिराक में थे। नशा व अपने शौक पूरा करने के लिए हम चोरी करते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. मौहम्मद आरिफ पुत्र असलम निवासी काले सिंह मन्दिर मार्ग वार्ड नं0 18 मौहल्ला नई बस्ती कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र 38 वर्ष।
2. असिफ उर्फ गुडडू पुत्र साविर निवासी गौशाला फाटक जस्सीपुरा मलिक विल्डिंग थाना कोतवाली गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

चोरी की 02 ई-रिक्शा बैटरी व घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

1. गिरफ्तार अभियुक्त मौहम्मद आरिफ पुत्र असलम उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग, थाना खेकड़ा बागपत पर आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियोग, विद्युत अधिनियम से सम्बन्धित 01 अभियोग व चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।
2. असिफ उर्फ गुडडू पुत्र साविर उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड पर एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियोग व थाना सिहानी गेट पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। कुल 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा अपनी पहचान छुपाकर हिन्दू नाम के आधार कार्ड दिखाकर मंदिर परिसर मे प्रवेश करने का प्रयास करने वाले वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 03.10.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा मुस्लिम समुदाय के 03 व्यक्ति हिन्दू नाम बताकर हिन्दू नाम के आधार कार्ड बनावाकर मन्दिर में प्रवेश करने का प्रयास करने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर से दो टीम गठित की गई। तत्पश्चात थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तों 1. राहुल पुत्र निरंजन निवासी कस्बा मांट थाना मांट जिला मथुरा 2. नानक पुत्र स्व0 रंजीत नि0 कस्बा मांट थाना मांट जिला मथुरा 3. वजीर खाँ पुत्र वली मोहम्मद नि0 गढी परसोती थाना सुरीर जिला मथुरा को पुलिस हिरासत में लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों 1. राहुल पुत्र निरंजन निवासी कस्बा मांट थाना मांट जिला मथुरा 2. नानक पुत्र स्व0 रंजीत नि0 कस्बा मांट थाना मांट जिला मथुरा 3. वजीर खाँ पुत्र वली मोहम्मद नि0 गढी परसोती थाना सुरीर जिला मथुरा ने पूछताछ पर बताया कि हम तीनों जगह जगह रामलीला मंचन में भाग लेकर प्रोग्राम करते है और इससे पहले भी

हमारे पूर्वज इसी तरह का रामलीला मंचन में अलग अलग पात्रों का रोल कर प्रोग्राम करते थे और इसी कारण हमने अपने हिन्दू नाम रख लिये थे और कल दिनांक 02.10.2024 को हम तीनो लोग मन्दिर में भी हम तीनों लोग रामलीला मंचन का प्रोग्राम करने के लिये आये थे। आपने पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

- राहुल पुत्र निरंजन निवासी कस्बा मांट थाना मांट जिला मथुरा
- नानक पुत्र स्व0 रंजीत नि0 कस्बा मांट थाना मांट जिला मथुरा
- वजीर खाँ पुत्र वली मोहम्मद नि0 गढी परसोती थाना सुरीर जिला मथुरा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम